छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा द्वितीय सत्र अंक-04

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 08 फरवरी, 2024

(माघ 19, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04 (कुल 04) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न क्रमांक- 02 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री उमेश पटेल के स्थान पर श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य अधिकृत रहीं ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 40 तारांकित एवं 62 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पृच्छा

श्री लखेश्वर बघेल, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्री विक्रम मण्डावी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के अन्य सदस्यों ने बस्तर में नक्सली घटनाओं में वृद्धि एवं उससे उत्पन्न स्थिति संबंधी विषय पर प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने भी इस पर विचार व्यक्त किये ।

3. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- प्रदेश में नक्सल घटनाओं में वृद्धि एवं उससे उत्पन्न स्थिति को लेकर मुझे श्री विक्रम मंडावी एवं अन्य सदस्यों के द्वारा स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । आज की कार्यसूची में इसी विषय पर ध्यानाकर्षण की सूचना चर्चा हेतु सम्मिलित है तथा चर्चा भी होनी है । विषय महत्वपूर्ण है, जो कि नक्सल समस्या से जुड़ा हुआ है । इस पर चर्चा के समय विषय पर आपकी बात आ जाएगी ।

अत: विचारोपरांत मैं, इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता, इसे अग्राह्य करता हूं ।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री ओ.पी.चौधरी, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2023-2024,

(2) श्री बृजमोहन अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री ने सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 (01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक),

(3) श्री बृजमोहन अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 31 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023 तक),

(4) श्री बृजमोहन अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार :-

(i) संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 (1 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023),

(ii) पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, का 59 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 (1 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023),

(iii) शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023,

(iv) हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग का अष्टम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 (1 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023 तक),

(v) अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर का एकादश वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023, तथा

(vi) शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 (1 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023 तक),

पटल पर रखे।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, अनुज शर्मा, श्रीमती भावना बोहरा, सदस्य ने प्रदेश में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल भवनों के पुनर्निर्माण करने के नाम पर अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य ने जिला-सुकमा के टेकलगुडेम में नक्सली मुठभेड़ में तीन जवानों के शहीद होने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह) ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

6. नियम 267-क के अन्तर्गत विषय

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री अजय चन्द्राकर

(2) श्री रोहित साहू

(3) श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी

7. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 65, भिलाई नगर से निर्वाचित सदस्य श्री देवेन्द्र यादव द्वारा फरवरी-मार्च, 2024 सत्र में दिनांक 5 फरवरी से दिनांक 1 मार्च, 2024 तक सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है ।

श्री देवेन्द्र यादव, सदस्य की अनुपस्थिति के संबंध में जब सदन से अनुमति ली गई तो इस पर माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर ने आपत्ति व्यक्त की एवं श्री बृजमोहन अग्रवाल,

संसदीय कार्य मंत्री ने अनुपस्थिति के कारण के संबंध में उनकी वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करने पश्चात् ही इस संबंध में निर्णय लेने का आग्राह किया ।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य श्री द्वारिकाधीश यादव ने भी इस पर विचार व्यक्त किये ।

8. व्यवस्था

माननीय सभापति महोदय ने पक्ष-विपक्ष के विचार सुनने के पश्चात् व्यवस्था दी कि श्री देवेन्द्र यादव, सदस्य की अनुपस्थिति के विषय में मैंने आप सभी के विचारों को सुना, समझा लेकिन इसका विनिश्चय का परीक्षण करा कर माननीय अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय सभापति की घोषणानुसार श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई ।

10. समितियों का निर्वाचन

(1) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिये नौ-नौ माननीय सदस्यों का निर्वाचन

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि- ‘‘सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उप नियम (3), नियम 223 के उप नियम (2), नियम 223-ख के उप नियम (1) एवं 223-ग के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार क्रमशः लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिये वितीय वर्ष 2023-2024 की शेष अवधि तथा वित्तीय वर्ष 2024-2025 की अवधि हेतु अपने में से क्रमशः नौ-नौ सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।’’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये 9 माननीय सदस्यों का निर्वाचन

श्री राम विचार नेताम, आदिम जाति विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि- ‘‘‘सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम-234- ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण

संबंधी समिति के लिये वित्तीय वर्ष 2023-2024 की शेष अवधि तथा वित्तीय वर्ष 2024-2025 की अवधि हेतु अपने में से नौ सदस्य, जिनमें से क्रमशः तीन-तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि 8 फरवरी, 2024 को लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों के निर्वाचन के प्रस्ताव को सभा द्वारा स्वीकृति दी गई ।

समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

(1) नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में शुक्रवार दिनांक 16 फरवरी, 2024 को अपराह्न 4.00 बजे तक दिये जा सकते हैं ।

(2) नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा शनिवार, दिनांक 17 फरवरी, 2024 को अपराह्न 1.30 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक- दो में होगी ।

(3) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना मंगलवार, दिनांक 20 फरवरी, 2024 को अपराह्न 1.30 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है ।

(4) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी, 2024 को प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 में होगा ।

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा ।

उपर्युक्त, निर्वाचनों में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

11. माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव के संबंध में श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से माननीय सदस्य के भाषण खत्म होने तक भोजनावकाश के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्नलिखित सदस्यों के संशोधन प्रस्तुत हुए:-

श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री लखेश्वर बघेल, भोलाराम साहू, दलेश्वर साहू, श्रीमती संगीता सिन्हा, सर्वश्री द्वारिकाधीश यादव, दिलीप लहरिया, कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, श्री इन्द्र शाह मण्डावी ।

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव व संशोधनों पर एक साथ चर्चा होगी ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्रीमती अनिला भेंडिया (जारी.......)

(2.00 बजे से 3.00 बजे तक भोजनावकाश हेतु अंतराल)

(सभापति महोदय (सुश्री लता उसेण्डी) पीठासीन हुए।)

12. माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

श्रीमती अनिला भेंडया, सर्वश्री पुन्नूलाल मोहले, भोलाराम साहू, धर्मजीत सिंह,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री कुंवर सिंह निषाद, सुश्री लता उसेण्डी, श्रीमती संगीता सिन्हा ।

13. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अध्यक्षीय दीर्घा में श्री गौरीशंकर अग्रवाल, छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष, उपस्थित हैं, सदन उनका स्वागत करता है ।

14. माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमश:)

सर्वश्री नीलकंठ टेकाम, द्वारिकाधीश यादव, विक्रम मण्डावी,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से आज की कार्यवाही के पद क्रमांक-8 का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की)

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

समस्त संशोधनों पर एक साथ मत लिया गया।

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सायं 5.50 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 09 फरवरी, 2024 (माघ-20, शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा